संख्या-8/2018/ए-1-274/दस-2018-10(42)/2008

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 लखनऊ - दिनांक - 22 मार्च, 2018

विषय:- दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को कोषागारों/एजेन्सी बैंक की शाखाओं को खोले जाने के सम्बन्ध में।

---------

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को क्रमश: गुड फ्राइडे व हज़रत अली के जन्मदिन का सार्वजनिक अवकाश है। उक्त तिथियों में विभागों/कार्यालयों से अधिक संख्या में देयक प्राप्त होने की सम्भावना है। अत: कोषागारों के साथ-साथ प्रदेश में शासकीय कार्य करने वाली समस्त बैंक शाखाओं को दिनांक 30 व 31 मार्च, 2018 को खोला जाना आवश्यक है।

2- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागारों के साथ-साथ वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2 के प्रस्तर-503 के अधीन ऐसे बैंक की सभी शाखाएँ, जो सरकारी लेन-देन का कार्य करतीं हों, को उक्त तिथि में खोले जाने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

भवदीय,
संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-8/2018/ए-1-274(1)/दस-2018-10(42)/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(3) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, 1018-जवाहर भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त वर्णित तिथि को सभी कोषागारों को आवश्यकतानुसार खोलेने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करें।

(6) सहायक महाप्रबन्धक, मुद्रा प्रबन्ध विभाग, केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, पोस्ट बाक्स संख्या-1379, मुम्बई-400023

(7) उपमहाप्रबन्धक, एकीकृत बैंकिंग विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, महात्मा गॉधी मार्ग, कानपुर-208001

(8) मुद्राधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई।

(9) महाप्रबन्धक, इलाहाबाद बैंक, मण्डलीय कार्यालय, हज़रतगंज, लखनऊ।

(10) मुख्य अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक, मुम्बई।

(11) महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी व्यवसाय विभाग, 8वॉ तल, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोतीमहल मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।